



भारतीय रेल डीजल रेलइंजन आधुनिकीकरण कारखाना

पटियाला-147 003

फोन: 2396000, 2396001 फैक्स: 91-0175-2306413

पंजीकरण नोटिस

भारत के राष्ट्रपति की ओर से Addl. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डी.एम.डब्ल्यू/पटियाला द्वारा निम्न कार्य हेतु केवल पटियाला के सप्लायरों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कार्य का नाम	अनुमानित खरीद (रूपये)	अवधि	पंजीकरण शुल्क
डी.एम.डब्ल्यू रेलवे चिकित्सालय/पटियाला के लिये इमरजेन्सी डे टू डे दवाई, सर्जिकल औजार व बी.पी. या एक्स-फार्माकोपिया, एक्स-रे फिल्मस, केमिकलस, लैब किट, फिल्म, बैज आदि की खरीद व सप्लाय हेतु फर्मो का पंजीकरण	65 लाख	02 वर्ष	रूपये 5000/- पंजीकरण फीस ऑनलाईन् पी.एफ.ए./डी.एम.डब्ल्यू/पटियाला के खाते में जमा करायें। (यह शुल्क सफल बोलीदाता को वापिसी देय नहीं होगा।) शुल्क सीधे डीएमडब्ल्यू/पटियाला के नकद कार्यालय में जमा किया जा सकता है और मूल रसीद नकद रसीद या पीएफए/डीएमडब्ल्यू/पटियाला के पक्ष में डीडी निविदा दस्तावेज खोलने से पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

1. आपूर्तिकर्ता अपने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करें जिसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज उपरलिखित पंजीकरण शुल्क व नियम व शर्तें जो टेंडर फार्म के साथ उसे भरकर निविदा पत्र के साथ लगाकर अपलोड करना आवश्यक है। नोटिस, नियम व शर्तें वेबसाइट : website : www.ireps.gov.in से डाउनलोड करें। यह नियम एवम शर्तें टेंडर डाक्यूमेंट का एक हिस्सा हैं, अगर यह नियम व शर्तें हस्ताक्षर करके टेंडर डाक्यूमेंट के साथ न लगाई गई तो टेंडर को निरस्त माना जाएगा।
2. पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रार्थनापत्र व सभी दस्तावेज सहित उपरोक्त वेबसाइट पर तिथि 23.11.2021 को 15.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है और अपलोड किए जा चुके प्रार्थना पत्र व सभी दस्तावेज मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डी.एम.डब्ल्यू/पटियाला के कार्यालय में तिथि 23.11.2021 को 15.30 बजे खोले जाएंगे।
3. किसी प्रकार की भी शुद्धिपत्र सम्बंधी प्रार्थना पत्र अपलोड करने से पहले कम से कम एक दिन पहले तक सभी टेंडरर/सप्लायर डी.एम.डब्ल्यू. की वेबसाइट का अवलोकन अवश्य करें।
4. टेंडरर/सप्लायर दोनों आइटमों का बेसिक रेट का आधार एक रूपया मानकर उसके ऊपर डिस्काउंट के बाद जितना रेट देना चाहे, वह दोनों आइटमों का अलग-अलग रेट भरेगा। टेंडरर/सप्लायर द्वारा दिए गए उच्चतम डिस्काउंट के आधार पर ऑफर का निर्णय लिया जाएगा।
5. टेंडरर/सप्लायर द्वारा नियम एवम शर्तें प्रपत्र के साथ सलंगन अनुलग्नक I, II तथा III को पूर्ण रूप से सावधानी से भरकर अपलोड किया जाए/अटैच किया जाए।

सं.: डी.एम.डब्ल्यू/मैड/एम.ए./13/एल.पी.-2021 (R) दिनांक: 28.10.2021 2520/2021

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ